

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)

पीठासीन अधिकारी : बलवन्त सिंह लिग्री , आर०ए०एस०

अपील संख्या 13/2018

1- घोसारां पुत्र सुखाराम जाति बावरी , निवासी तंवरा , तहसील लाडनू ,  
जिला नागौर, राजस्थान।

.....अपीलान्त

बनाम

2- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडनू जिला नागौर राजस्थान

.....रेस्पोंडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता-

1- श्री विकास ठोलिया, हाकम अली एवं विक्रम कुड़ी, अधिवक्तागण , अपीलान्त

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

अपील विरुद्ध निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 मिसल  
संख्या 97/2016 किस्म मुकदमा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 91 न्यायालय तहसीलदार लाडनू जिला नागौर  
राज० पीठासीन अधिकारी आदूराम मेघवाल आर.टी.एक्ट द्वारा राज०  
राज्य बनाम घोसारां में पारित किया गया।

निर्णय

दिनांक- 23.07.2018

अपीलान्त की आर.टी.एक्ट. राज्य सक्षेप में इस प्रकार है :-

1- यह है कि दिनांक 20.12.2016 को प्रत्यर्थागण संख्या 02 ने एक रिपोर्ट अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम की धारा 91के तहत कार्यवाही करने बाबत प्रत्यर्था संख्या 01 के न्यायालय में पेश की जिस पर प्रत्यर्था संख्या 01 के न्यायालय में मुकदमा 97/16 अनुवान सरकार जरिये पटवारी हत्का तंवरा बनाम घोसारां किस्म मुकदमा धारा 91 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत दिनांक 20.12.2016 को अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध

५

मुकदमा दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया एवं आगामी तारिख पेशी 11.01.2017 को फरमायी गई।

2- यह है कि दिनांक 11.01.2017 को अपीलार्थी को नोटिस नहीं मिलने की वजह से उपस्थित नहीं हो सका। दिनांक 30.01.2017 को अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री छोगाराम बुरडक ने वकालत नामा पेश किया। दिनांक 22.02.2017 को अप्रार्थी अधिवक्ता ने अप्रार्थी का जवाब पेश किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में जाहिर किया कि प्रार्थी आबादी क्षेत्र में मकानों का निर्माण कर नितारा कर रहे हैं। इसलिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर दिया जाना न्यायाचित नहीं है। आपके द्वारा बताई गई मौजा तंवरा की आबादी भूमि है। अप्रार्थी के जवाब के संदर्भ में पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक के बयान कलमबद्ध किये गये, जिसके अनुसार अप्रार्थी ने खसरा नम्बर 165 सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जो गैर मुमकिन गौचर है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा पटवारी हल्का तंवरा व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व बयानात का भलीभांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। जिससे अप्रार्थी का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाना बेखूबी साबित होता है। मौजा तंवरा जागीर खसरा 165 रकबा 0.03 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर पर छपर बनाकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लंघन है जो अतिक्रमण की क्षेणी में आता है। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमण माना जाकर उक्त खसरा नम्बर 165 रकबा 0.03 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थी पर वार्षिक लगान दर 0.55 के 50 गुणा से जुर्माना रुपये 5/- अक्षर पांच रुपये कायम किया जाता है। अप्रार्थी से जुर्माना वसूली हेतु पटवारी हल्का, भौतिक रूप से बेदखली हेतु भू अभिलेख निरीक्षक एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार कार्यालय हाजा को तहरीर जारी हो।

3- यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.03.2017 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील निम्न आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :-

**-: अपील के आधार :-**

(1) यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 को पारित करने में प्राकृतिक न्याय से सिद्धान्तों की अवहेलना की है। अपीलार्थी को गवाह पेश करने व मौखिक रूप से सुनने का कोई अवसर नहीं दिया गया इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपास्त किये जाने योग्य है।



- 2- यह है कि अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मामले को कन्टेस्ट करने हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति भी की गयी थी एवम अपीलार्थी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत किया गया था उसके बावजूद दिनांक 08.03.2017को व निर्णय के दिन दिनांक 15-03-2017 को अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति दर्ज की गई जिससे स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया। आदेशिक दिनांक 15.03.2018 से भी प्रमाणित है। उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया है जो अधीन अपास्त किये जाने योग्य है।
- 3- यह है कि पटवार हल्का द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच के दबाव में आकर उक्त कार्यवाही पेश की जबकि उक्त तीनों खसरान् में करीब 166 परिवार अपने-अपने मकान बनाकर निवास करते आ रहे हैं। इस प्रकार 35 परिवारों के विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही कर बेदखल करने की पक्षपात पूर्ण कार्यवाही की है तथा शिकायत कर्ता राजनितिक प्रतिस्पर्दा के तहत कार्यवाही कर अपनी राजनितिक रंजिश निकालने का प्रयास कर रहा है। इस कारण 166 परिवारों में से मात्र 35 परिवारों के विरुद्ध झुटी शिकायत कर कार्यवाही की है जो अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
- 4- यह है कि अपीलार्थी का मकान आबादी भूमि ग्राम तंवरा में बना हुआ है जिसमें अपीलार्थी के द्वारा घरेलू लाईट व पानी कनेक्शन ले रखे हैं तथा सदीन काल से मकान बने हुये हैं। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी आबादी क्षेत्र तंवरा में मकान कर निर्माण कर निवास कर रहे है। जो कभी भी अतिक्रमी नहीं है। उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया है जो अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
- 5- यह है कि उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थागण संख्या 02 की केवल मात्र रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 को पारित फरमाया। इसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य का सही विशलेषण नहीं किया है इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

4

- 6- यह है कि अपीलार्थी के विरुद्ध खसरा नम्बर 165 रकबा 0.03 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर पर अतिक्रमी मानकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है अतः योग्य अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।
- 7- यह है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया आदेश नहीं है। इस कारण विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 को अपास्त फरमाया जावे।
- 8- यह है कि अपीलार्थी की अपील विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनू जिला नागौर के विरुद्ध है। इस कारण उक्त अपील माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है।
- 9- यह है कि अपीलार्थी को नोटिस मिला तथा अपीलार्थी ने उक्त नोटिस का जवाब अपने अधिवक्ता के मार्फत दिया गया था फिर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थित रहने के बावजूद उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है। उक्त आलौच्य आदेश की नकल अपीलार्थी ने दिनांक 23.02.2018 को प्राप्त की इसलिए अपील अन्दर मयाद है।
- 10- यह है कि अन्य उजरात बर उक्त अर्ज किये जायेगे।

अतः अपीलार्थी की अपील पेश कर माननीय न्यायालय से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 को अपास्त फरमाया जावे एवं विकल्प में अपीलार्थी की यह भी प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश/दण्डादेश दिनांक 15.03.2017 को अपास्त फरमाया जाकर इस निर्देश के साथ पत्रावली को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में सुनवाई का, जवाब, व साक्ष्य, दस्तावेज पेश करने का समुचित अवसर देकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे।

यह अपील अपीलान्त के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास ठोलिया द्वारा पेश की गयी। जो दिनांक 07.3.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तथा अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड हेतु तलबी जारी की गयी। अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड व नोटिस शामिल होकर दिनांक 19.4.2018 को प्राप्त हुवे जो शामिल मिसल

31

किये गये। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड दिनांक 11.5.18 को प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन व मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट अप्रार्थी द्वारा ग्राम मौजा तंवरा जागीर के ख0नं0 165 रकबा 0.03 बीघा गैर मु0 गोचर पर छपर बनाकर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर भौतिक रूप से बेदखल किया गया तथा धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत 5/- रुपये अर्थदण्ड आरोपीत किया गया।

गौचर की जमीन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आराजी है जिसमें धारा 16 आर.टी.एक्ट के तहत उक्त पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। न ही गोचर भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा आबादी का पट्टा जारी किया जा सकता है। अप्रार्थी ने स्वयं अपने लिखित जवाब में बताया है कि वह आबादी क्षेत्र में राजकीय भूमि पर मकान का निर्माण कर निवास कर रहा है। पटवारी हल्का तंवरा व भू-अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में भी अप्रार्थीनी को गै0मु0गोचर भूमि पर अतिक्रमण करना बताया गया है। बिना पट्टे बिना नियमन के गौचर भूमि पर मकान बनाकर निवास करना अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। तथा यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अप्रार्थी को सुना नहीं गया है क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.2.17 में अप्रार्थी ने स्वम उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.3.2017 को किया गया निर्णय विधी सम्मत है।

३१

:::: आ दे श ::::

अतः अपीलान्त की अपील खारिज की जाकर  
अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.03.2017 बहाल रखा  
जाता है।



(बलवन्त सिंह लिग्नी)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 23.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की  
मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(बलवन्त सिंह लिग्नी)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)